राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक : प. /एनपीएस/एनपीएस 2 ओपीएस/2022/685 दिनांक 28.09.2022

कार्यालय निर्देश

विषयः– एनपीएस योजनान्तर्गत कार्मिकों के द्वारा दिनांक 01.04.2022 के पश्चात एनपीएस आहरण की राशि को पुनः जमा करवाने बाबत।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 126 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर सभी राज्य कर्मचारियों के लिये ओपीएस लागू की जा चुकी है, किन्तु इसके पश्चात भी एनपीएस योजनान्तर्गत अनेक कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.04.2022 से 28.08.2022 तक एनएसडीएल पोर्टल पर ऑटो प्रोसेस के माध्यम से एनपीएस राशि के विरूद्ध आंशिक आहरण प्राप्त कर लिया था।

इस सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 जयपुर दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 28.08.2022 तक आहरण की गई राशि को दिनांक 31.12.2022 तक अधिकतम चार किस्तों में बजट मद 8009–01–101–03 में जमा कराई जावें।

उक्त परिपत्र के अनुसरण में एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में कार्मिक के डेशबोर्ड पर NPS Withdrawal Recovery के नाम से युटिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। इस हेतु संबंधित कार्मिकों को स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल ऑपन करने पर एम्प्लॉई डेशबोर्ड पर NPS Withdrawal Recovery पर क्लिक करने के पश्चात कार्मिक को एनएसडीएल से आहरित राशि एवं दिनांक स्वतः प्रदर्शित होगी। उक्त राशि कार्मिक द्वारा GPF 2004 Deduction में एकमुश्त या अधिकतम 4 किश्तों में दिनांक 31.12.2022 तक जमा करवा सकता है, जिसका नमूना निम्नानुसार है :–

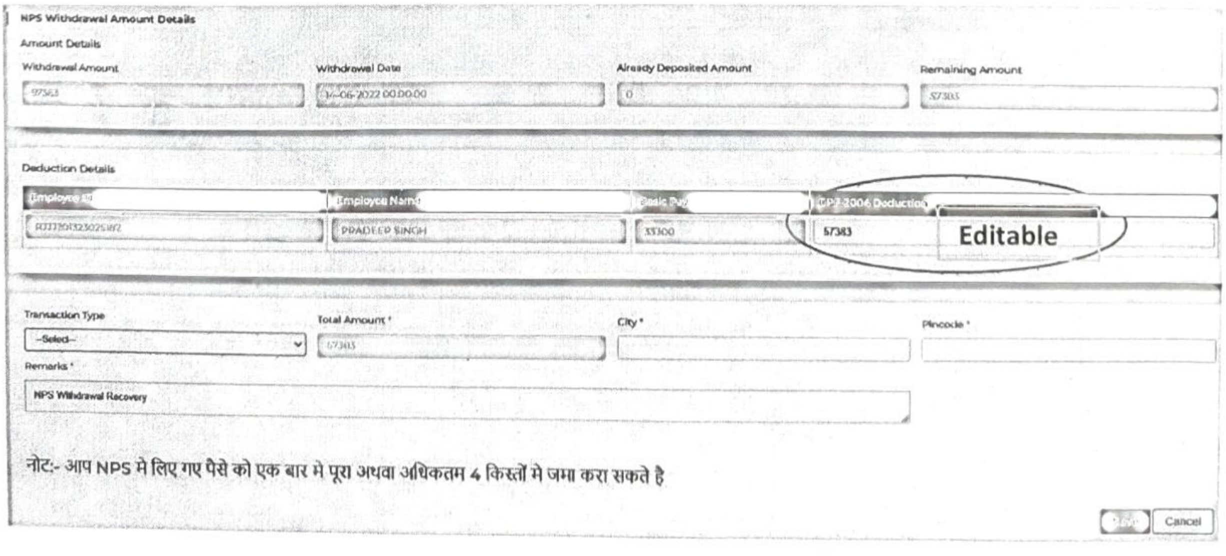
NPS Withdrawal Amount Details

Amount Details

Withdrawal Amount	Withdrawal Date	Already Deposited Amount	Remaining Amount
57383	14-06-2022 00:00:00	0	57383

Deduction Details

Employee ID	Employee Name	Basic Pay	GPF 2004 Deduction
[illegible]	PRADEEP SINGH	33300	57383 Editable

Transaction Type: --Select--

Total Amount *: 57383

City *

Pincode *

Remarks *: NPS Withdrawal Recovery

नोटः- आप NPS मे लिए गए पैसे को एक बार मे पूरा अथवा अधिकतम 4 किस्तों मे जमा करा सकते है

Save Cancel

एसआईपीएफ पोर्टल पर उपर्युक्तानुसार चालान बनाते समय Remarks कॉलम में कार्मिक द्वारा अपनी एम्प्लॉई आईडी एवं प्रान नम्बर का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावें। तत्पश्चात कार्मिक एनपीएस आहरण की राशि Transaction Type कॉलम ऑनलाईन/ऑफलाईन विकल्प का चयन कर ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवा सकता है।

उक्त प्रक्रिया में यदि कोई प्रकरण ऐसा ध्यान में आवें जिसमें किसी कार्मिक द्वारा एनपीएस आहरण तो लिया गया है परन्तु उक्त युटिलिटी में आहरण विषयक विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है या आहरण नहीं लेने पर भी उक्त युटिलिटी में आहरण विषयक सूचना प्रदर्शित हो रही है या कोई त्रुटिपूर्ण सूचना प्रदर्शित हो रही हो तो उसे एनएसडीएल पोर्टल से सत्यापन पश्चात, संबंधित जिला कार्यालय एसआईपीएफ पोर्टल पर यूटिलिटी में डीआर/सीआर पोस्टिंग के माध्यम से उसे अद्यतन कर सकता है।

अतः विभाग के सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के संबंधित एनपीएस अंशदाताओं से उनके द्वारा आहरित एनपीएस आंशिक आहरण राशि की दिनांक 31.12.2022 तक वसूली हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक

क्रमांक :– प./एनपीएस/एनपीएस2 ओपीएस/2022/686-692 दिनांक 28/09/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे जिला कार्यालयों को इस क्रम में आने वाली समस्याओं का यथा समय समाधान करावें।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
5. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्यालय निर्देश का समूचित प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली

28/09/2022

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, एनपीएस